www.cbi.gov.in

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

(सूचना अनुभाग)

5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स,

लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

प्रेस विज्ञप्ति

नई दिल्ली, 18.04.2017

गैर-अनुपातिक सम्पत्ति के मामले में दूरसंचार विभाग के तत्कालीन निदेशक को 25 लाख रू. जुर्माने सहित 4 वर्ष की कठोर कारावास

सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश, पटियाला हाऊस कोर्ट, नई दिल्ली ने गैर-अनुपातिक सम्पत्ति के मामले में दूरसंचार विभाग, संचार भवन, नई दिल्ली के तत्कालीन निदेशक (ई.आर.यू.) श्री कैलाश पाटिल अनेजा (भारतीय आर्थिक सेवा के 1981 बैच के अधिकारी) को 25 लाख रू. जुर्माने सहित 04 वर्ष की कठोर कारावास एवं उनकी पत्नी श्रीमती अनीता अनेजा को एक लाख रू. जुर्माने सहित 03 वर्ष की कठोर कारावास सजा सुनाई।

सीबीआई ने दूरसंचार विभाग, नई दिल्ली के तत्कालीन निदेशक (ई.आर.यू.) श्री के.पी. अनेजा के विरूद्ध दिनांक 29.09.2005 को मामला दर्ज किया। ऐसा आरोप था कि वर्ष 1982 से 2005 के दौरान, आरोपी ने अंशधारिता, सम्पत्तियों, सोना आदि के रूप में सम्पत्ति एकत्र की जो कि उनकी वैध आय अर्थात 24.45 लाख रू. (लगभग) से 43% की राशि अधिक पायी गई। जॉच के पश्चात, आरोपी एवं उनकी पत्नी के विरूद्ध दिनांक 20.12.2011 को आरोप पत्र दायर हुआ। विचारण के दौरान उक्त अदालत के द्वारा बड़े पैमाने पर दस्तावेजों पर भरोसा जताया गया।

विचारण अदालत ने आरोपियों को कसूरवार पाया एवं उन्हे दोषी ठहराया।

****